समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर केम्प सागर

1. दिनेश सिंह पिता रघुराजसिंह ठाकुर
2. गजेन्द्र सिंह पिता रघुराजसिंह ठाकुर
3. रामदीन पिता रतनसिंह ठाकुर
4. नन्हेभाई पिता रतनसिंह ठाकुर,

सभी निवासी – ग्राम जैतपुर कोपरा,तह, देवरी
जिला – सागर (म०प्र०)

....आवेदकगण

//विरूद्ध//

मोबाईल टॉवर विजन कंपनी
शाखा – जैतपुर कोपरा, तह. देवरी
जिला सागर (म०प्र०)
द्वारा देवेश मिश्रा

..........अनावेदक

पुनःअवलोकन आवेदन अंतर्गत् धारा–51 म.प्र.भू.रा. संहिता 1959

उपरोक्त आवेदकगण श्रीमान् न्यायालय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर के निगरानी प्रकरण क्रमाँक 2760–पप/2013 में पारित आदेश दिनांक 04–02–2015 से परिवेदित होकर यह पुनः अवलोकन आवेदन निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता हैः–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 917—एक/2015 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2.3.16	आवेदक की ओर से श्री ओ0पी0शर्मा अधिवक्ता उपस्थित। उन्हें रिव्यु प्रकरण की ग्राह्यता पर सुना गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 2760—तीन/13 में पारित आदेश दिनांक 04—02—2015 के विरूद्ध म0प्र0भू—राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2— आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :— 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	